राम–राज्य में नौकरशाही

श्याम शंकर उपाध्याय
पूर्व जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विधिक परामर्शदाता मा0 श्रीराज्यपाल
उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
मोबाइल : 9453048988
e-mail : ssupadhyay28@gmail.com

08.08.2024

1. **राम–राज्य में नौकरशाहीः** शासक राम के अधीन अयोध्या में वास्तव में एक लोक कल्याणकारी समाजवादी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी। प्राचीन भारत में अन्य राजतंत्रीय शासन व्यवस्थाओं की ही भांति राम–राज्य में भी राज्य की नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी। राजा द्वारा अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा के फलस्वरूप जिन नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाता था उसका क्रियान्वयन करने और उसे धरातल पर उतारने का दायित्व सचिव का होता था जिसके अधीन बड़ी संख्या में वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकारीगण तथा कर्मचारीगण नियुक्त होते थे जिनके माध्यम से सचिव राज्य की नीतियों और कार्यक्रमों का सम्यक् निष्पादन करवाता था। राम कालीन अयोध्या में नियुक्त किये जाने वाले अधिकारी और कर्मचारी अपने–अपने कार्यों के सम्पादन में नितान्त दक्ष होते थे। अधिकारियों के संवर्ग में 'सचिव' का पद अत्यन्त महत्वपूर्ण और दूसरे अधिकारियों की तुलना में बड़ा पद माना जाता था। सचिव श्रेष्ठ ज्ञान, प्रशासनिक दक्षता और अनुभव से सम्पन्न वरिष्ठ अधिकारी होता था। आवश्यकतानुसार राजा समय–समय पर अपने सचिव से शासन व प्रशासन से सम्बन्धित विषयों पर भी परामर्श लेता था। लोक कल्याण के लिए निर्धारित की जाने वाली नीतियों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए राजा एवं उसका मंत्रि–परिषद् अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करने के अतिरिक्त सचिव के साथ भी मंत्रणा करते थे। राजा की अध्यक्षता में गठित मंत्रि–परिषद् के समक्ष कभी–कभी सचिव को बुलाकर मंत्रि–परिषद् शासन द्वारा निर्धारित की जाने वाली नीतियों के सम्भावित अच्छे अथवा बुरे परिणामों के बारे में उसके अनुमान और विचार सुनती थी। राम–राज्य में राजा द्वारा अपने सचिव के साथ की जाने वाली मंत्रणा के बारे में महर्षि वाल्मीकि ने निम्नांकित मत व्यक्त किया हैः

त्रयाणां पश्चधा योगं कर्मणां यः प्रपद्यते।
सचिवैः समयं कृत्वा स सम्यग् वर्तते पथि।।
यथागमं च यो राजा समयं च चिकीर्षति।

बुध्यते सचिवैः बुद्धया सुहृदश्चानुपश्यति।।

(वाल्मीकि रामायणः युद्धकाण्डः 63/7, 8)

न व्याधिजं भयं च आसीद् रामे राज्यं प्रशासति।
लोके दस्यु भयं न आसीद् अनर्थो नास्ति कश्चन।।

(स्रोतः अध्यात्म रामायणः युद्धकाण्डः 30)

2. **राम–राज्य में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदनामः** राम कालीन अयोध्या में राजा के अधीन विभिन्न श्रेणी के परामर्शदाता, कार्यकारी अधिकारी और कर्मचारी हुआ करते थे। इन प्रमुख परामर्शदाताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम निम्नांकित प्रकार थेः

(1) मंत्रीगण	(2) कोषाध्यक्ष
(3) सेना प्रमुख	(4) आहरण वितरण अधिकारी (DDO-Drawing & Disbursing Officer)
(5) वाणिज्य एवं व्यवसाय सचिव	(6) राजकुमार (Prince or Deputy King)
(7) पुरोहित	(8) पहरेदार (Watchman)
(9) वनरक्षक	(10) कारागार अधीक्षक
(11) न्यायाधीश	(12) पाकशाला प्रमुख (Chef)
(13) अंगरक्षक (Bodyguard)	(14) गुरु (Preceptor)
(15) प्रस्तुतकर्ता (Reader or Bench Secretary)	(16) प्रधान आरक्षी (Chief Police Officer)
(17) चिकित्सक (Physician)	(18) द्वारपाल (Gatekeeper)

मन्त्री खजांची सेनापति वेतनदाता व्यापार सचिव।
युवराज पुरोहित द्वारपाल बनरक्षक कारागार सचिव।।
न्यायी रसोइयाँ अभिभावक गुरू राजाज्ञा कहने वाला।
दारोगा वैद्य महलवाली ड्योढी पर नित रहने वाला।।
हैं यह अठारह राज अंग इनका विचार रक्खे राजा।।

(स्रोतः राधेश्याम रामायणः लवकुश काण्ड)

3. **राम–राज्य में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की वेतनमान आधारित श्रेणियांः** राम–राज्य में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वेतनमान आधारित विभिन्न श्रेणियां हुआ करती थीं जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कैकयी के हठ को जब राजा दशरथ स्वीकार कर लेते हैं तो राम अपने अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ जंगल चले जाते हैं। अपने ननिहाल से भरत अयोध्या लौटकर जब यह देखते हैं कि राम ने राजा का पद स्वीकार नहीं किया और वन जाने के लिए निकल गये हैं तो भरत घोषणा करते हैं कि मैं राजा का पद स्वीकार नहीं करूंगा अपितु राज्य में विभिन्न वेतनमानों में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के

साथ मैं राम को मनाने जाऊंगा और उन्हें मनाकर वन से वापस लाकर अयोध्या के राजा का पद स्वीकार करने का अनुरोध करूंगा। अयोध्या में वेतनमान के अनुसार उस समय किस–किस प्रकार के अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किये जाते थे, उसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में निम्नांकित प्रकार मिलता हैः

(1) कुशल कर्मचारी (Skilled Employees)
(2) अर्द्धकुशल कर्मचारी (Semi-skilled Employees)
(3) अकुशल कर्मचारी (Unskilled Employees)
(4) स्थायी कर्मचारी (Permanent Employees)
(5) अस्थायी कर्मचारी (Temporary Employees)
(6) आकस्मिक कर्मचारी (Casual Employees)
(7) नियमित कर्मचारी (Regular Employees)
(8) वैतनिक कर्मचारी (Salaried Employees)
(8) अवैतनिक कर्मचारी (Honorary Employees)
(9) स्वैच्छिक कर्मचारी (Voluntary Employees)
(10) नियत अवधि कर्मचारी (Fixed Tenure Employees)
(11) संविदा कर्मचारी (Contractual Employees)
(12) दैनिक कर्मचारी (Daily Wager Employees)

विष्टिकर्मान्तिकाः सर्वे मार्गशोधकदक्षकाः।
प्रस्थापिता मया पूर्वं यात्रा च मम रोचते।।

(स्रोतः वाल्मीकि रामायणः अयोध्या काण्ड : 82.20)

4. राम–राज्य में अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु योग्यताः

राम कालीन अयोध्या सहित प्राचीन भारत में उसी अधिकारी एवं कर्मचारी को राज्य के कार्य सम्पादन के लिए नियुक्त किया जाता था जिसमें अपने कार्य को कुशलतापूर्वक सम्पन्न करने की प्रतिभा और योग्यता होती थी। रामकालीन समाज तथा महाभारत कालीन भारत में राज्य के कार्य को सम्पन्न करने के लिए नियुक्ति से पूर्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निम्नांकित गुण, दोष, स्वभाव, योग्यता एवं प्रतिभा का आकलन किया जाता थाः

(1) पद व कार्य के किए अपेक्षित योग्यता
(2) बुद्धिमत्ता
(3) सत्यनिष्ठा
(4) कर्तव्य परायणता
(5) चरित्र
(6) निष्ठा
(7) लोभ हीनता

(8) व्यक्तित्व की सौम्यता

मा स्म लुब्धांश्च मूर्खांश्च कामार्थे च प्रयूयुजः।
अलुब्धान् बुद्धिसम्पन्नान् सर्वकर्मसु योजयेत्।।
मूर्खो ह्यधिकृतोऽर्थेषु कार्याणामविशारदः।
प्रजाः क्लिश्नात्ययोगेन कामक्रोधसमन्वितः।।
(स्रोतः महाभारतः राजधर्म अनुशासनपर्वः 71.8,9)

5. **राम–राज्य के कर्मचारियों की अनुशासन–प्रियताः** अपने पदीय दायित्व को कुशलतापूर्वक सम्पन्न करने हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों में आवश्यक प्रतिभा, दक्षता तथा योग्यता के अतिरिक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी की नियुक्ति से पूर्व अनुशासन के प्रति उसके समर्पण व उसके स्वभाव का भी परीक्षण राम–राज्य में किया जाता था। कार्य को समयबद्ध ढंग से सम्पन्न करना भी कर्मचारी अथवा अधिकारी की नियुक्ति के लिए अपेक्षित पूर्व शर्त होती थी जिसकी जांच–पड़ताल राज्य द्वारा अधिकारी व कर्मचारी की नियुक्ति से पूर्व उसके व्यक्तित्व का अध्ययन करके सुनिश्चित किया जाता था। यद्यपि सेवकों के सेवा धर्म को अत्यन्त कठिन कार्य माना जाता था और नौकरी करना कोई आसान कार्य कभी नहीं रहा है, राम के समय में भी। आज्ञाकारी और अनुशासित अधिकारी और कर्मचारी को राजा द्वारा विशेष सम्मान भी दिया जाता था। देखिएः

सोइ सेवक प्रियतम मम सोई। मम अनुशासन मानै जोई।।
(रामचरित मानसः उत्तर काण्ड)

सिर भर जाउँ उचित अस मोरा। सब तें सेवक धरमु कठोरा।
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवाधरमु कठिन जग जाना ।
(रामचरितमानसः अयोध्याकाण्ड)

6. **कर्मचारियों की निरंकुशता एवं भ्रष्टता को रोकने हेतु राजाओं को कुम्भकर्ण द्वारा दिया गया परामर्शः** राम के साथ युद्ध में जब रावण की लगभग आधी सेना युद्ध क्षेत्र में मार दी गयी और रावण का सैन्य बल तेजी से कम होने लगा तब रावण चिन्तित हो गया और अपने भाई कुम्भकर्ण के पास गया और उससे युद्ध में सहायता करने का अनुरोध किया। रावण से सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनने के बाद कुम्भकर्ण ने रावण को फटकार लगाते हुए बताया कि रावण के मंत्रियों, अधिकारियों और सचिवों ने उसे उचित और निष्पक्ष परामर्श नहीं दिया अपितु उसे खुश करने के लिए उसकी चापलूसी करते हुए राम के साथ युद्ध करने हेतु उसे गलत परामर्श दे दिया है। कुम्भकर्ण ने रावण को बताया कि राजाओं अथवा शासकों को अपने परामर्शदाताओं, नौकरशाहों तथा निकटवर्ती सहयोगियों

की मूर्खता, कुटिलता और प्रच्छन्न शत्रुभाव से सदैव सर्तक रहना चाहिए अन्यथा शासक की नौकरशाही उसे गलत सूचनाएं और परामर्श देकर शासक का सर्वनाश करवा देगी। कुम्भकर्ण शासकों को परामर्श देते हैं कि शासकों को कभी भी चापलूस और खुशामद करने वाले नौकरशाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए अन्यथा शासक घोर विपत्ति में फंसकर विनष्ट हो जायेगा। कुम्भकर्ण का यह परामर्श आधुनिक समय में जनता द्वारा निर्वाचित सरकारों के अधीन काम करने वाली नौकरशाही पर भी लागू होती है। निर्वाचित सरकारें यदि अपनी नौकरशाही को निरंकुश छोड़ देंगी तो चुनावों में जनता के हाथों उनकी पराजय अवश्यम्भावी हो जायेगी। कुम्भकर्ण द्वारा शासकों को नौकरशाही के प्रति सतर्क रहने हेतु जो परामर्श दिया गया है, उसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार मिलता हैः

अहितं च हिताकारं धाष्ट्र्याज्जल्पन्ति ये नराः।
अवश्यं मन्त्रबाह्यास्ते कर्तव्याः कृत्यदूषकाः।।
विनाशयन्तो भर्तारं सहिताः शत्रुभिर्बुधैः।
विपरीतानि कृत्यानि कारयन्तीह मन्त्रिणः।।
(स्रोतः वाल्मीकि रामायणः युद्धकाण्डः 63.16,17)

न अराजके जनपदे धनवन्तः सुरक्षिताः।
न अराजके जनपदे योगक्षेमः प्रवर्तते।
न अराजके जनपदे स्वकं भवति कस्यचित्।
मत्स्याः इव जनाः नित्यं भक्षयन्ति परस्परम्।। (वाल्मीकि रामायण)

7. **शासकों को नौकरशाही से सर्तक रहने हेतु विद्वानों के सुझावः** शासकों के अधीन कार्य करने वाले नौकरीपेशा लोगों द्वारा अपने शासकों से मीठी–मीठी बातें करके उन्हें यथार्थबोध से दूर रखना, सामान्य जनता की मुसीबतों से उन्हें अनभिज्ञ रखना और राज्य में व्याप्त अराजकता, भ्रष्टता तथा शासन के प्रति जनता के असंतोष के बारे में शासकों को अंधेरे में रखना और अपना वैयक्तिक हित साधन करना नौकरशाहों का वर्तमान समय में विकसित हुआ कोई नया स्वभाव नहीं है अपितु इक्का–दुक्का मामलों में नौकरशाही की यह दुष्प्रवृत्ति रामकालीन अयोध्या में भी विद्यमान थी। विद्वानों और विचारकों द्वारा शासकों को उनके इर्द–गिर्द प्रायः विद्यमान रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों से सदा सावधान रहने का परामर्श दिया जाता रहा है जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में किया है। संस्कृत के ग्रन्थ हितोपदेश में भी इसका उल्लेख निम्नांकित प्रकार आता हैः

सचिव बैद गुर तीनि जौं प्रिय बोलहि भय आस।
राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगिहीं नास।। (रामचरित मानसः सुन्दरकाण्ड)

वैद्यो गुरुश्च मन्त्री च यस्य राज्ञः प्रियंवदाः।
शरीर–धर्म–कोषेभ्यः क्षिप्रं स परिहीयते।। (हितोपदेश)

सुलभाः पुरूषाः राजन्, सततं प्रियवादिनः।
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः।।
(स्रोतः वाल्मीकि रामायणः अरण्य काण्डः 37.2)

8. **नौकरशाही में भ्रष्टाचार का इतिहासः** प्राचीन भारत में राजतंत्रीय व्यवस्था में कार्यकारी, विधायी तथा न्यायिक शक्तियां मूलतः राजा में ही निहित होती थीं। राजा आवश्यकतानुसार अपनी इन शक्तियों का स्थानान्तरण अपनी मंत्रि–परिषद् के सदस्यों को, उपराजा के रूप में राजकुमार को, सचिव तथा राज्य के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भी करता रहता था। राम–राज्य में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य सम्पादन के बदले भ्रष्टता करने अथवा जनता का शोषण करने के सम्बन्ध में प्राचीन ग्रन्थों में कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता है। मनुस्मृति में यद्यपि राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रायः किये जाने वाले भ्रष्टाचार और उन्हें दण्डित किये जाने सम्बन्धी विधान का व्यापक रूप से उल्लेख मिलता है। राधेश्याम रामायण नामक ग्रन्थ में भी नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार का उल्लेख किया गया है जो निम्नांकित प्रकार हैः

यदि प्रजा निरीक्षक पापी हो, निर्दयी घूस लेने वाले।
यदि गुप्तदूत अविचारी हो, झूठे संदेश देने वाले।।
यदि वैद्य गुरू हों चाटुकार, सेनानायक षडयन्त्री हों।
यदि बकवादी मीठे कपटी, राजा के सारे मन्त्री हों।।
तो निश्चय सारे राज्य सहित, वह राजा चौपट होता है।
छोटी–छोटी भूलो से ही यह, दारूण संकट होता हैं।।
(राधेश्याम रामायणः सीता वनवास)

9. **भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को दण्डित किये जाने हेतु प्राचीन भारत में विधानः** प्राचीन भारतीय ग्रन्थों, विशेषकर स्मृतियों से इस बात का प्रमाण मिलता है कि प्राचीन भारतीय राजतंत्र में भी कुछ एक मामलों में राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा सामान्य जनता का शोषण करते हुए भ्रष्टाचार किया जाता था। भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को दण्डित किये जाने के लिए कठोर विधियों का निर्माण भी किया गया था। भ्रष्टाचार का दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी अथवा कर्मचारी को सेवा से तो बर्खास्त किया ही जाता था, साथ ही भ्रष्टाचार द्वारा अर्जित की गयी उसकी समस्त सम्पत्तियां भी राज्य के पक्ष में जब्त करके उसे पूरी तरह निर्धन करके छोड़ दिया जाता था। भ्रष्टाचार

के विरूद्ध अत्यन्त कठोर विधान होने के कारण प्राचीन भारत में अधिकारी और कर्मचारी जनता का शोषण करने को सोचते भी नहीं थे। राम कालीन अयोध्या में भी यही व्यवस्था थी। भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों को दण्डित किये जाने के बारे में मनुस्मृति में वर्णित उपरोक्त आशय के विधान का उल्लेख निम्नांकित प्रकार मिलता हैः

ये नियुक्तास्तु कार्येषु हन्युः कार्याणि कार्यिणाम्।
धनोष्मणाः पच्यमानाः तान्नि स्वान्कारयेन् नृपः।।
तेषां दोषान् अभिख्याप्य स्वे स्वे कर्मणि तत्वतः।
कुर्वीत शासनं राजा सम्यक् सारापराधतः।। (स्रोतः मनुस्मृतिः 9.231,262)

10. **शासकों द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ हंसी–मजाक करने की वर्जनाः** लोक नीति एवं लोक प्रशासन के विशेषज्ञ प्राचीन भारत के विद्वत्जनों ने शासकों को परामर्श दिया है कि उन्हें अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों से हास–परिहास करने से यथासंभव बचना चाहिए, अन्यथा अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी अपने राजा अथवा शासक को गम्भीरता से नहीं लेंगे, उससे डरना छोड़ देंगे और अनुशासनहीन होकर उसके आदेशों की अवज्ञा करने लगेंगे जिसका बुरा प्रभाव अन्ततः लोक प्रशासन पर पड़ेगा।

सम्प्रहासश्च भृत्येषु न कर्तव्यो नराधिपैः।
लघुत्वं चैव प्राप्नोति आज्ञा चास्य निवर्तते।। (महाभारतः अनुशासन पर्व)

11. **शासक तक जनता की पहुंच में नौकरशाही बाधकः** आधुनिक विश्व में किसी भी शासन प्रणाली में प्रमुख शासकों तक जनता की पहुंच होना यदि असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य है। राम कालीन अयोध्या भी इसका अपवाद नहीं थी। इस सम्बन्ध में वाल्मीकि रामायण में एक बड़ा ही रोचक प्रसंग आता है। लंका के युद्ध में रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद राम अयोध्या वापस आये और अयोध्या के राजा बने। विभीषण और सीता भी अयोध्या आये। राम के अयोध्या का राजा बन जाने के तीसरे दिन विभीषण ने राम से अनुरोध किया कि सीता जी उनसे मिलने के लिए समय चाहती हैं। राम ने अपने दरबार में सीता से मिलने के लिए जो तिथि व समय नियत किया, उसकी सूचना अयोध्या की प्रजा को भी हो गयी। अयोध्या की प्रजा भी उस समय राम के दरबार में आकर यह देखने और सुनने के लिए अत्यन्त उत्सुक हो गयी कि पर्याप्त समय बाद सीता से मिलने पर राम की प्रतिक्रिया कैसी होगी और सीता राम से क्या कहना चाहती हैं। नियत तिथि व समय पर जैसे ही सीता राम के समक्ष उनके दरबार में उपस्थित हुईं तो राजमहल के दरवाजे पर अयोध्या की पूरी प्रजा भी दरबार में घुसने के लिए उमड़ पड़ी परन्तु द्वारपाल उन्हें दरबार में

घुसने नहीं दे रहा था जबकि जनता किसी भी कीमत पर दरबार में घुसना चाहती थी। जब जनता राजमहल का द्वार खोलकर दरबार में जाने लगी तो सुरक्षाकर्मियों, राजमहल के जनसंपर्क अधिकारियों (PROs), विशेष कार्याधिकारियों (OSDs) आदि ने जनता को खदेड़ने के लिए उन पर लाठी चार्ज कर दिया। जनता को भगाने और लाठी चार्ज करने में विभीषण भी सम्मिलित हो गये। जनता और सुरक्षा कर्मचारियों व अधिकारियों के बीच हुई इस भिड़न्त से राजमहल के दरवाजे पर काफी शोर–शराबा मच गया जिसका शोर दरबार में शासक राम तक भी पहुंच गया। राम तुरन्त सिंहासन से उतरकर राजमहल के दरवाजे की ओर आये और जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके सुरक्षाकर्मी, अधिकारी तथा विभीषण आदि जनता को भगाने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, राम अत्यन्त क्रुद्ध हो गये और क्रोध से लाल हुए राम ने सुरक्षाकर्मियों, अधिकारियों तथा विभीषण को बुरी तरह फटकारते हुए उन्हें तुरन्त लाठी चार्ज रोकने का निर्देश दिया। राम ने उन्हें बताया कि वे जिन लोगों पर लाठीचार्ज करके उन्हें राज दरबार में घुसने से रोक रहे हैं और उनका अनादर कर रहे हैं वह लोग उनके (राजा राम के) अपने स्वजन की भांति हैं। लोक हितैषी राम ने वहां उपस्थित समस्त प्रजा को राज दरबार में आने की अनुमति प्रदान कर दी। प्रजा का अनादर करने, उन पर लाठी चार्ज करने और उन्हें अपने राजा से मिलने के लिए दरबार में घुसने से रोकने के लिए शासक राम ने तत्काल प्रभाव से लाठीचार्ज करने वाले समस्त सुरक्षाकर्मियों, विशेष कार्याधिकारियों, जनसंपर्क अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया और अयोध्या से बाहर निकाल दिया। राम ने विभीषण को भी निर्दिष्ट किया कि वह भी लंका वापस जायें और अपना राज–पाट संभालें। क्या राम जैसा दूसरा अन्य कोई शासक हुआ है जो प्रजा से न मिलने देने के लिए अपने सुरक्षाकर्मियों तथा अपने स्टॉफ आदि के विरूद्ध इतनी कठोर कार्यवाही किया हो। वर्तमान शासन प्रणालियों में दुनियाभर में शासकों की यह बहुत बड़ी विडम्बना है कि वह शासक बनते ही अपने ही लोगों से और जनता से दूरी बना लेते हैं। जनता और शासक के बीच की यही दूरी और शासक तक जनता की पहुंच का अभाव ही अंततः शासकों के पतन का कारण बनता है।

किमर्थं मामनादृत्य क्लिश्यते अयं त्वया जनः।
निवर्तयैनमुद्वेगं जनो अयं स्वजनो मम।।

(वाल्मीकि रामायणः युद्धकाण्डः 114.26)

****